PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

17/02/2025 से 23/02/2025 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. इंटरनेट और बाल अश्लीलता : बच्चों के खिलाफ एक नया अपराध.........1
2. पंचायत अंतरण (विकेंद्रीकरण) सूचकांक 2024.........4
3. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू : लोकतंत्र की सुरक्षा या जनादेश की अवहेलना?.........7
4. भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति.........9
5. भारत-कतर द्विपक्षीय संबंध : मध्य-पूर्व एशिया में एक सशक्त रणनीतिक साझेदारी.........11
6. UGC विनियम प्रारूप 2025 : राज्यों की चिंता और भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य.........14

PLUTUS IAS

इंटरनेट और बाल अश्लीलता : बच्चों के खिलाफ एक नया अपराध

खबरों में क्यों ?

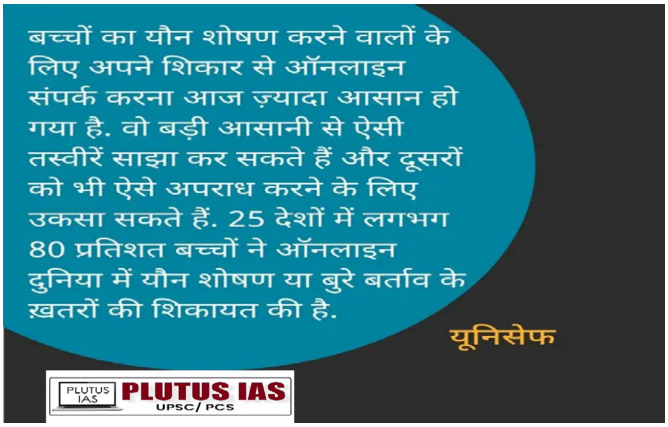

- हाल ही में, विभिन्न क्षेत्रों के 123 अध्ययनों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए द लैंसेट पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसमें वैश्विक स्तर पर बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण की बढ़ती समस्या को उजागर किया गया है।

ऑनलाइन बाल शोषण से संबंधित अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष :

ऑनलाइन बाल शोषण से संबंधित अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- **दुर्व्यवहार की व्यापकता :** इस अध्ययन में बताया गया है कि पिछले दस वर्षों में वैश्विक स्तर पर हर 12 में से 1 बच्चा (लगभग 8.3%) ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार हुआ है।
- **शोषण के प्रकार :** इसमें विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन यौन शोषण का उल्लेख किया गया, जैसे यौन संवाद/प्रलोभन (12.5%), बिना अनुमति के चित्र साझा करना (12.6%), ऑनलाइन यौन शोषण (4.7%) और यौन उत्पीड़न (3.5%)।
- **लैंगिक स्तर पर होने वाले भेदभाव में कोई अंतर नहीं :** बालकों और बालिकाओं के बीच ऑनलाइन दुर्व्यवहार की दर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया, जिससे यह धारणा चुनौतीपूर्ण होती है कि लड़कियाँ अधिक असुरक्षित हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि ऑनलाइन माहौल में बदलाव हो रहा है, जिससे लड़कों के लिए भी यौन शोषण के खतरे बढ़ रहे हैं।
- **मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :** इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऑनलाइन यौन शोषण गंभीर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें जीवन प्रत्याशा और रोजगार की संभावनाओं में कमी शामिल है।

पोर्नोग्राफी :

- पोर्नोग्राफी को शॉर्ट में पॉर्न कहते हैं। इसमें ऐसे वीडियो, पत्रिकाएं, पुस्तकें या अन्य सामग्री जिनमें सेक्शुअल सामग्री होता है और जिनसे व्यक्ति की मन में सेक्स की भावना बढ़ती है, उसे पोर्नोग्राफी कहते हैं। पॉर्न वीडियो को आम बोलचाल में **'ब्लू फिल्म'** भी कहते हैं। जिन लोगों को पॉर्न या ब्लू फिल्म बोलने में हिचक होती है, वो इन्हें **'ऐसी-वैसी'** फिल्में कहते हैं।
- पोर्नोग्राफी (Pornography) एक ऐसी कला है, जिसमें लोगों की नंगी तस्वीरें या अश्लील वीडियो (Nude Video) दिखाई जाती हैं। यह तस्वीरें या वीडियो अक्सर सेक्स या सेक्सुअल गतिविधियों को दिखाते हुए बनाई जाती हैं। इस तरह की कला ज्यादातर व्यापक रूप से इंटरनेट पर मौजूद होती है।

बाल अश्लीलता :

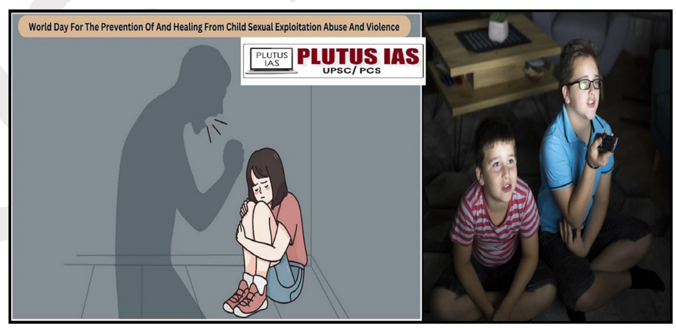

- बाल अश्लीलता एक अपराध है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे का यौन आग्रह या नाबालिग की भागीदारी वाली अश्लील सामग्री का निर्माण करना, बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन यौन संबंध बनाने के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकार्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसमें शामिल हैं।

भारत में बाल अश्लीलता की स्थिति :

PLUTUS IAS

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत में बाल अश्लीलता के 738 मामले थे जो वर्ष 2021 में बढ़कर 969 हो गए थे। बाल अश्लीलता के मामलों की संख्या में प्रति वर्ष होने वाली बढ़ोतरी भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण की भयावह स्थिति की ओर संकेत करता है, जो अत्यंत चिंताजनक है और इस पर नियंत्रण करने की सख्त जरूरत है।

भारत में पोर्नोग्राफी से संबंधित वास्तविक स्थिति :

- भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने, इसके प्रदर्शन आदि पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पॉर्न देखने वाला देश है।
- वर्ष 2018 में आई एक खबर के मुताबिक, 2017 से 2018 के बीच भारत में पॉर्न देखने की दर में 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। भारत के छोटे शहरों में काफी अधिक संख्या में लोग इसे देख रहे हैं।
- 2018 में भारत सरकार ने करीब 850 पॉर्न वेबसाइटों पर बैन लगा दिया था। ऐसा पहले भी किया गया है। लेकिन इसका कोई खास प्रभाव कभी नहीं पड़ा क्योंकि ये वेबसाइटें नए-नए डोमेन बनाकर भारतीय बाजार में आ जाती हैं.।
- वर्तमान समय में विभिन्न ऐप्स के जरिए, वॉट्सऐप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और अन्य सोशल मीडिया के जरिए यूज़र इनको देख ही लेता है।

भारत में पोर्नोग्राफी से जुड़े कानूनी प्रावधान :

भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध के तौर पर माना जाता है और इस पर कई कानून हैं।

- **भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000,** भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012** में पोर्नोग्राफी से जुड़े कई प्रावधान हैं।
- **भारतीय दण्ड संहिता 1860 :** भारत की प्राचीनतम दण्ड संहिता में, बाल यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता को अपराध के रूप में माना गया है।
- **धारा 354, 354A, 354B, 354C और 376एबी में बाल यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के लिए सजा दी गई है।**
- **बाल अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 :** यह अधिनियम भारत के सभी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में, बाल यौन उत्पीड़न, बाल अश्लीलता और बाल विपत्ति जैसे अपराधों के लिए कानून हैं।
- **इंफांट लेबर (प्रतिबंध) अधिनियम, 2016:** यह अधिनियम बच्चों को श्रम से मुक्ति देने के लिए बनाया गया है। जो भी व्यक्ति बाल श्रम, बाल यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता जैसे अपराधों में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, यह अधिनियम उन लोगों के खिलाफ होता है।

भारत में बाल अश्लीलता संबंधी कानून :

- बाल पोर्नोग्राफी पर कानून आईटी अधिनियम के साथ-साथ POCSO अधिनियम द्वारा विनियमित है।
- **POCSO अधिनियम की धारा 14** उन मामलों में लागू की जाती है जहां किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए लिप्त किया जाता है।
- **POCSO अधिनियम की धारा 15** उन मामलों में लागू की जाती है जहां बाल अश्लील सामग्री सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संग्रहीत की जाती है या रखी जाती है। धारा 15 की व्याख्या से पता चलता है कि बाल अश्लील सामग्री डाउनलोड करना गैरकानूनी है क्योंकि कानून के अनुसार सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए, नष्ट कर दिया जाना चाहिए या संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

- पॉर्न का कंटेंट रेप या शारीरिक शोषण वाला है तो **IT ऐक्ट, सेक्शन 67 A** के तहत कार्रवाई होगी. चाइल्ड पॉर्न प्रसारित करने वाले के खिलाफ **IT ऐक्ट की धारा 67 B** के तहत कार्रवाई होगी. अगर कोई किसी के सेक्स करने या सेक्शुअल एक्टिविटी का वीडियो बनाता है तो ये क्राइम है. इसमें **IT ऐक्ट के सेक्शन 66 E** के तहत कार्रवाई होती है।.

- **IT कानून की धारा 67 A के तहत अपराध की गंभीरता को देखते हुए पहले अपराध के लिए 5 साल तक जेल की सज़ा या/और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार यही अपराध करने पर जेल की सजा की अवधि बढ़कर 7 साल हो जाती है, लेकिन जुर्माना 10 लाख ही रहता है।**

- **IT ऐक्ट की धारा 67 A और 67 B गैर-ज़मानती हैं।** चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में POCSO कानून के तहत भी कार्रवाई होती है।

समाधान की राह :

- भारत में बाल अश्लीलता डाउनलोड करना अपराध है।

- बाल अश्लीलता सामग्री डाउनलोड करने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए।

- वर्तमान समय में किशोरों को गैजेट्स से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो बिना किसी सेंसर के उन पर अश्लील सामग्री देखने की लत सहित सभी प्रकार की जानकारी की बमबारी कर रहे हैं। अतः इससे निपटने के लिए जरूरी एवं सख्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है।

- पोर्न देखने की लत, अन्य पदार्थों या ' चीजों ' की तरह ही है , जिनकी लोगों को लत लग सकती है, 'ऑपरेंट कंडीशनिंग' के सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है और इसका समाधान किया जा सकता है।

- इंटरनेट पर स्पष्ट यौन सामग्री की पहुंच के कारण किशोरों में पोर्न की बढ़ती लत चिंता का विषय बन रही है। एक अध्ययन के अनुसार आज 10 में से 09 नाबालिग लड़के किसी न किसी रूप में अश्लील सामग्री के संपर्क में हैं। वहीं, 10 में से छह लड़कियां पोर्नोग्राफी के संपर्क में आती हैं।

- वर्तमान समय में भारत में 12-17 वर्ष की आयु के किशोर लड़कों में पोर्न की लत विकसित होने का खतरा सबसे अधिक है। औसतन, एक पुरुष का पहली बार पोर्नोग्राफ़ी से संपर्क 12 साल की उम्र में ही हो जाता है।

- भारत में बच्चों द्वारा अश्लील सामग्री देखने के लिए बच्चों को दंडित करने के बजाय, समाज को इतना परिपक्व होना चाहिए कि वह उन्हें इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए उचित सलाह, शिक्षा और परामर्श दे सके।

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में बाल अश्लीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में बाल अश्लीलता डाउनलोड करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
2. IT ऐक्ट की धारा 67A और 67B ज़मानत योग्य होता हैं।
3. भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में POCSO कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती है।
4. भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने, इसके प्रदर्शन आदि पर सख्त पाबंदी है, इसके बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पॉर्न देखने वाला देश है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 3

D. केवल 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बाल अश्लीलता से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रसार के दौर में भारत में बाल अश्लीलता की रोकथाम के लिए के बनाए गए कानून वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है ? बाल अश्लीलता की रोकथाम के लिए तर्कसंगत समाधान भी प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा- 250 अंक – 15)

पंचायत अंतरण (विकेंद्रीकरण) सूचकांक 2024

खबरों में क्यों?

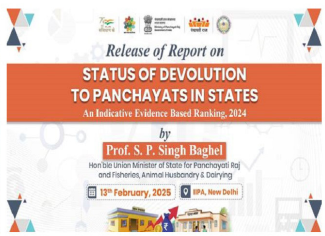

- हाल ही में केन्द्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में ' **राज्यों में पंचायतों के अंतरण (विकेंद्रीकरण) की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग ' 2024** शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है।
- इस रिपोर्ट में भारत भर में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

पंचायती राज संस्थाओं में विकेंद्रीकरण की स्थिति : 2024 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष :

- **परिचय :** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में विकेंद्रीकरण के संदर्भ में वर्ष 2024 की रिपोर्ट, जिसे **' पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 '** के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अधिकारों और संसाधनों के अंतरण का विश्लेषण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना है कि पंचायतों को निर्णय लेने और कार्यान्वयन में कितनी स्वायत्तता प्राप्त है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G में निर्धारित किया गया है।
- **आयाम :** इस रिपोर्ट में छह प्रमुख आयामों का मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें पंचायतों की संरचना, कार्य, वित्त, पदाधिकारियों की स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही शामिल हैं।

मुख्य निष्कर्ष :

1. **समग्र विकेंद्रीकरण :** वर्ष 2013-14 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्राप्त विकेंद्रीकरण का प्रतिशत 39.9% था, जो 2021-22 में बढ़कर 43.9% हो गया है।
2. **राज्यों की रैंकिंग :** विकेंद्रीकरण में अग्रणी राज्यों में कर्नाटक (प्रथम स्थान), केरल (द्वितीय स्थान), तमिलनाडु (तृतीय स्थान), महाराष्ट्र (चौथा स्थान) और उत्तर प्रदेश (पाँचवाँ स्थान) प्रमुख हैं। वहीं, जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सबसे निचले स्थान प्राप्त किए, उनमें दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (13.62%), पुदुचेरी (16.16%) और लद्दाख (16.18%) शामिल हैं।
3. **बुनियादी ढाँचे में सुधार :** सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के तहत, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग और डिजिटलीकरण में सुधार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पंचायतों के पदाधिकारियों से संबंधित सूचकांक 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गया है।
4. **क्षमता निर्माण :** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA, 2018) की मदद से, पंचायतों की क्षमता निर्माण सूचकांक में वृद्धि देखी गई है। यह सूचकांक 44% से बढ़कर 54.6% हो गया है।
5. **निष्कर्ष :** समग्र रूप से, वर्ष 2024 की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि पंचायतों को अधिक स्वायत्तता और सशक्तिकरण मिल रहा है, हालांकि कुछ राज्यों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :

1. **संस्थागत स्तर पर व्याप्त खामियाँ :** पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था से नेतृत्व की निरंतरता पर असर पड़ता है, क्योंकि नए नेताओं का दृष्टिकोण पहले से मौजूद लक्ष्यों और कार्यों से भिन्न हो सकता है। इससे विकास की गति पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि ज़िला योजना समितियाँ (DPC) बनी हैं, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
2. **पंचायतों को विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यों का असंगत हस्तांतरण करना :** भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची

में उल्लिखित 29 विषयों का असंगत रूप से पंचायतों को हस्तांतरण किया गया है। राज्य सरकारों को यह डर रहता है कि इससे उनका प्रभाव क्षेत्र घट सकता है, जिससे पंचायतों को निर्णय लेने में विभिन्न कठिनाईयों और संकीर्णता का सामना करना पड़ता है।

3. **पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता में कमी का होना :** राज्य वित्त आयोग (SFC) की सिफारिशों का पालन न होने, केंद्रीआकृत GST प्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता की कमी के कारण पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता में भारी कमी है। इससे उनका वित्तीय नियंत्रण भी प्रभावित होता है।
4. **जरूरी प्रशिक्षण और संसाधन क्षमताओं का अभाव होना :** निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन, बजट और योजना बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण की कमी होती है, जिससे प्रशासनिक क्षमता में बाधाएँ आती हैं और फैसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
5. **सामाजिक अंकेक्षण की कमी और ग्रामसभा में न्यूनतम भागीदारी और जवाबदेही का होना :** सामाजिक अंकेक्षण की कमी और ग्रामसभा में न्यूनतम भागीदारी के कारण निगरानी प्रक्रिया कमजोर होती है। इसके अलावा, अपर्याप्त वित्तीय प्रकटीकरण पारदर्शिता को बाधित करता है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रमुख अनुशंसाएँ :

1. **निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करना :** निधियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्हें सख्ती से निगरानी में रखना चाहिए।
2. **पंचायत भवनों को लोक सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना :** पंचायत भवनों को लोक सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं, जैसे आयुष्मान भारत, तक पहुंच में सुधार हो सके।
3. **पंचायतों को स्वायत्त एवं सशक्त बनाना :** राज्य सरकारों से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि वे पंचायतों को पूरी तरह से शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सौंपें, ताकि इनकी स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।
4. **राज्य वित्त आयोगों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करना :** समय पर निधि आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों को प्रभावी बनाना आवश्यक है।
5. **पंचायतों को निर्णय लेने में स्वायत्तता प्रदान करना :** पंचायतों को मनरेगा , NHM और PMAY जैसी प्रमुख योजनाओं में निर्णय लेने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
6. **पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाना :** बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित वित्त पोषण की प्रमुख स्थिति :

1. **राजस्व संरचना :** पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) केवल 1% राजस्व करों के माध्यम से उत्पन्न करती हैं, जिससे इनकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित होती है।
2. **केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान पर निर्भर होना :** पंचायती राज संस्थाओं का 80% राजस्व केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से आता है, जबकि 15% राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से आता है।
3. **प्रति पंचायत राजस्व :** हर पंचायत अपने करों से औसतन 21,000 रुपए और गैर-कर स्रोतों से 73,000 रुपए अर्जित करती है।
4. **केंद्रीय और राज्य अनुदान के रूप में बाह्य सहायता पर अत्यधिक निर्भर होना :** प्रत्येक पंचायत को औसतन केंद्रीय अनुदान के रूप में 17 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, जबकि राज्य अनुदान की औसत राशि लगभग 3.25 लाख रुपए होती है। यह स्थिति बाह्य सहायता पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती है।
5. **पंचायतों का न्यूनतम राजस्व व्यय :** सभी राज्यों में पंचायतों के राजस्व व्यय का GSDP (Gross State Domestic Product) से अनुपात 0.6% से भी कम है। उदाहरण के लिए, बिहार में यह 0.001% और ओडिशा में 0.56% है।
6. **राजस्व प्राप्ति के संबंध में अंतर-राज्यीय असमानताओं का होना :** भारत के विभिन्न राज्यों में राजस्व की बड़ी असमानताएँ हैं। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में औसत राजस्व 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए से अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में यह 6 लाख रुपए से भी कम है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण को बेहतर बनाने के उपाय :

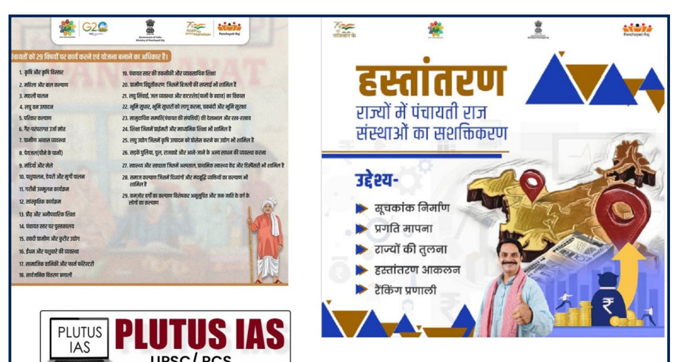

1. **पंचायतों को पर्याप्त अनुदान देना और नियमित वित्तीय हस्तांतरण को सुनिश्चित करना :** भारत में 14वें और 15वें वित्त आयोगों ने पंचायतों को पर्याप्त अनुदान देने की सिफारिश की थी, लेकिन अनुदान का नियमित हस्तांतरण अधिक महत्वपूर्ण है। स्थायित्व और दीर्घकालिक विकास के लिए तात्कालिक अनुदान की जगह नियमित रूप से फंड्स का हस्तांतरण होना चाहिए। इससे पंचायतों को दीर्घकालिक योजना बनाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।
2. **वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना :** वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए नियमित लेखा-परीक्षण, आरटीआई (RTI) खुलासे और मजबूत खरीद प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निधियों का कुशल और प्रभावी उपयोग हो रहा है और कोई भी अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है।
3. **राज्यों की वित्तीय क्षमता के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करना :** पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाला वित्तीय हस्तांतरण राज्यों की वित्तीय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा करने से राज्यों के बीच वित्तीय असमानताएँ कम हो सकेंगी और पंचायतों के लिए एक संतुलित और स्थिर विकास की राह खुलेगी।
4. **राज्य वित्त आयोग को और अधिक सक्रिय और सुदृढ़ करना :** राज्य वित्त आयोग को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाना आवश्यक है। आयोग की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए और पंचायतों के वित्तीय समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। इससे पंचायतों को लगातार और पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे।
5. **पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन करने को बढ़ावा देना :** पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, भूमि कर जैसे स्थानीय करों से अधिक आय अर्जित की जा सकती है। इसके साथ ही राज्यों को पंचायतों की कर संग्रहण और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्थन देना चाहिए।
6. **विशेष प्रयोजन अनुदान की स्थापना करने की आवश्यकता :** भारत में पंचायतों को ग्रामीण अवसंरचना, जैसे सड़क, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए विशेष प्रयोजन अनुदान की स्थापना की जानी चाहिए। यह अनुदान पंचायतों को प्रदर्शन आधारित वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा और ग्रामीण विकास को गति देगा।

आगे की राह / निष्कर्ष :

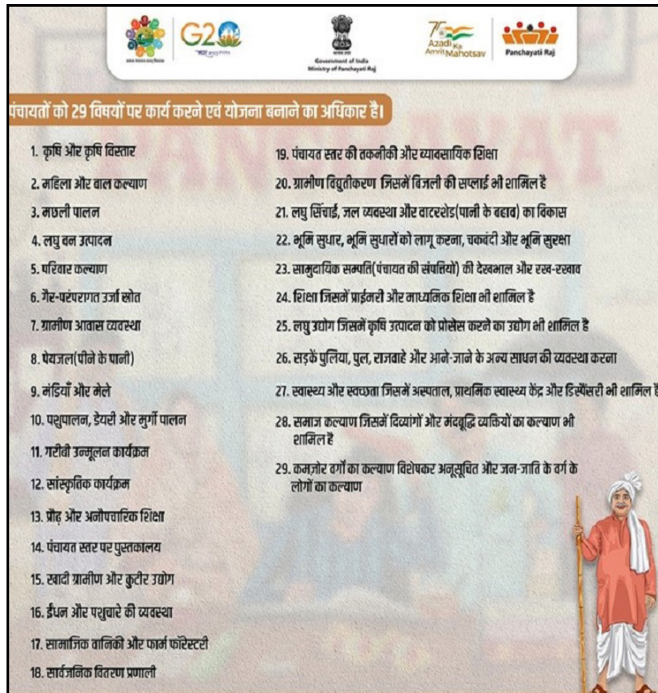

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

- "पंचायतों का विकेंद्रीकरण" रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया गया है, जैसे कि वित्तीय हस्तांतरण में वृद्धि और मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण। हालांकि, वित्तीय स्वायत्तता की कमी, असंगत वित्तीय हस्तांतरण और जवाबदेही में कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। यदि इन कमियों को दूर किया जाए, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पंचायतें स्थायी और प्रभावी रूप से स्थानीय शासन और विकास में भागीदारी को निभाते हुए शासन के विकेंद्रीकरण के रूप में कार्य करेंगी।

स्रोत – पी.आई.बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

1. पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार
2. ग्रामसभा में न्यूनतम भागीदारी को बढ़ावा देना

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. पंचायत भवनों को लोक सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित करना
4. पंचायतों के वित्तीय नियंत्रण को केंद्रीयकृत करना

उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि पंचायतों का विकेंद्रीकरण रिपोर्ट 2024 में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति को कैसे दर्शाया गया है, और भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के तहत पंचायतों को स्थानीय निकायों के रूप में कार्य करने में अभी भी किस प्रकार की चुनौतियाँ बनी हुई हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू : लोकतंत्र की सुरक्षा या जनादेश की अवहेलना?

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में मणिपुर में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, नई सरकार के गठन में विफलता के कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रभाव :

1. **राज्य का प्रशासन और शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाना :** राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के प्रशासन का संचालन करते हैं। मुख्य सचिव इस प्रक्रिया में राज्यपाल की सहायता करते हैं।
2. **राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग किया जाना और विधानसभा की स्थिति :** राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है, जिससे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है।
3. **राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन से संबंधित अध्यादेश जारी करने का अधिकार होना :** भारत में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन से संबंधित अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, ताकि राज्य में जरूरी प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकें।

भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित संवैधानिक पहलू :

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का पालन करने में असमर्थ होती है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है और राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पद से हटा दिया जाता है। साथ ही राज्य की विधानमंडल को निलंबित या भंग किया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रमुख कारण :

1. **शासन व्यवस्था में अस्थिरता का होना :** जब राज्य में गठबंधन सरकार टूट जाती है और कोई भी दल या गठबंधन नई सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
2. **राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होना :** यदि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में यह बताता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता होती है।

3. **राज्य में चुनाव होने की असमर्थता की स्थिति का होना :** युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, या महामारी जैसी स्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।

राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित प्रमुख आलोचनाएँ और सुझाव :

1. **राज्य के शासन में हस्तक्षेप करने या शासन के दुरुपयोग की आशंका :** भारतीय संविधान के कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्य के शासन में हस्तक्षेप करने के रूप में किया जाता है, जो संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाता है।
2. **भारत में राष्ट्रपति शासन से संबंधित सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिश :** सन 1983 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति शासन को केवल अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जाए, जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हों।
3. **एस.आर. बोम्मई मामला (1994) :** इस मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए, ताकि भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग न हो।

भारत में राष्ट्रपति शासन के प्रमुख उदाहरण :

1. **जम्मू और कश्मीर :** हाल ही में वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था ।
2. **मणिपुर :** मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।
3. **छत्तीसगढ़ और तेलंगाना :** भारत के इन राज्यों में अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है।

मणिपुर में जातीय हिंसा :

1. मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा राज्य की अस्थिरता का एक प्रमुख कारण बन गई है।
2. मणिपुर में यह जातीय संघर्ष मुख्य रूप से दो समुदायों—बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी-जो—के बीच हुआ था।
3. बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी-जो समुदायों के बीच का यह तनाव मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें मैतेई समुदाय को कुछ विशेष अधिकार दिए जाने की सिफारिश की गई थी।
4. इस आदेश ने दोनों समुदायों के बीच असंतोष को बढ़ा दिया था, क्योंकि मैतेई समुदाय मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ है, जबकि कुकी-जो समुदाय पहाड़ी इलाकों में निवास करता है।
5. इस हिंसा के परिणामस्वरूप राज्य में कई घटनाएँ घटीं, जिनमें आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य गंभीर अपराध शामिल थे, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा।
6. आपसी जातीय संघर्ष के परिणामस्वरूप मणिपुर राज्य में कानून-व्यवस्था में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है।

आगे की राह / निष्कर्ष :

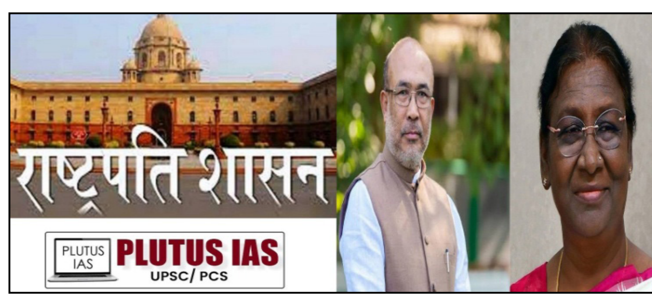

1. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का लागू होना राज्य के प्रशासनिक विफलता और निरंतर चल रहे अशांति को दर्शाता है।
2. मणिपुर में इस स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है और शांति तथा स्थिरता को बहाल करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं।
3. राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य राज्य में तटस्थ प्रशासन प्रदान करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, और राजनीतिक संवाद को सुगम बनाकर स्थिरता को पुनः स्थापित करना है।

4. भारत में पिछले कुछ न्यायिक फैसलों और आयोग की सिफारिशों में हालांकि, यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सतर्कता के साथ और कम – से – कम किया जाए, ताकि केंद्र सरकार द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके और भारत में केन्द्र – राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में " **संघवाद की अवधारणा** " का सम्मान बना रहे।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है ?

A. अनुच्छेद 356

B. अनुच्छेद 352

C. अनुच्छेद 378

D. अनुच्छेद 346

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " भारत में केन्द्र – राज्य संबंधो के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति शासन राज्यों के लोकतांत्रिक जनादेश को बाधित तो करता है किन्तु राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार संकट के समय यह संवैधानिक स्थिरता भी सुनिश्चित करता है।" इस कथन का मूल्यांकन उपयुक्त उदाहरणों के साथ करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति

खबरों में क्यों?

- हाल ही में ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) नियुक्त किया गया है।
- चयन समिति के एक सदस्य ने आपत्ति जताई कि चयन प्रक्रिया ने अनूप बरनवाल केस, 2023 में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को नज़रअंदाज किया है।

वर्ष 2023 के विधेयक के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

परिचय : यह अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तों और निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिये निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 को प्रतिस्थापित करता है।

न्यायिक पृष्ठभूमि : यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय (SC) के हस्तक्षेप के बाद आया, जब विभिन्न याचिकाओं में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति में केंद्र सरकार की विशेष शक्ति को चुनौती दी गई।

अनूप बरनवाल केस, 2023 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का एक पैनल संसद द्वारा कानून पारित होने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का चयन करेगा।

फैसले से पहले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।

प्रमुख प्रावधान :

चयन समिति : मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LOP) (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता)।

प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

खोज समिति : कानून मंत्री और दो वरिष्ठ सचिवों के नेतृत्व में एक खोज समिति पाँच उम्मीदवारों की सूची बनाती है।

अधिनियम की धारा 8 चयन समिति को सूचीबद्ध पाँच नामों के अतिरिक्त अन्य नामों पर भी विचार करने का अधिकार प्रदान करती है।

पात्रता मानदंड : जो व्यक्ति केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व सचिव के पद पर है या रहा हो, वे सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता होनी चाहिये।

वेतन, कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति : मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा तथा सीईसी और अन्य ईसी छह वर्ष की अवधि के

लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

सीईसी और ईसी को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी ईसी को सीईसी नियुक्त किया जाता है तो उसका कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।

सरकारी पेंशन (दिव्यांगता पेंशन को छोड़कर) प्राप्त करने वाले सीईसी या ईसी का वेतन प्राप्त पेंशन की राशि से कम हो जाएगा।

निष्कासन और त्यागपत्र : मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से ही उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, जबकि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

दोनों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं।

अधिनियम के समक्ष प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

सी.जे.आई. का बहिष्कार : अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सी.जे.आई.) को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री की समिति से प्रतिस्थापित करता है, जिससे कार्यपालिका को चयन प्रक्रिया पर हावी होने की अनुमति मिलती है।

शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन : इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा चुनौती दी जा रही है, जिसमें तर्क दिया गया है कि क्या संसद के पास कानून या अध्यादेश के माध्यम से अनूप बरनवाल मामले, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को रद्द करने या संशोधित करने का कानूनी अधिकार है।

चयन समिति में रिक्तियाँ: अधिनियम चयन समिति को रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की अनुमति देता है।

यदि लोकसभा भंग होने के कारण विपक्ष के नेता का पद रिक्त होता है, तो उम्मीदवारों के चयन के लिये केवल प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री ही बचे रहेंगे, जिससे प्रभावी रूप से निर्णय और वर्ष 2023 अधिनियम दोनों को दरकिनार कर दिया जाएगा।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को कमज़ोर करना : चूँकि कार्यपालिका के पास तीन में से दो वोट होते हैं, इसलिये अधिनियम निर्वाचन आयोगों की स्वतंत्रता और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ संभावित तालमेल पर चिंता उत्पन्न करता है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को कमज़ोर कर सकता है।

EC की विश्वसनीयता पर प्रभाव : CEC और EC प्रत्याशी के लिये अधिनियम की सर्च कमिटी की नियुक्ति से पहले ही कार्यकारी प्रभाव बढ़ाने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ता है।

निर्वाचन आयोग के चयन में कथित पूर्वाग्रह भारतीय लोकतंत्र को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चुनाव राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करते हैं।

निर्वाचन निकाय के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित वैश्विक स्तर की प्रथाएँ

दक्षिण अफ्रीका : चयन प्रक्रिया में संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष, मानवाधिकार न्यायालय के प्रतिनिधि एवं लैंगिक समानता के पक्षधर जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल होते हैं।

यूनाइटेड किंगडम : निर्वाचन निकाय के लिये उम्मीदवारों को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका : राष्ट्रपति, निर्वाचन निकाय के सदस्यों की नियुक्ति करता है और नियुक्तियों के लिये सीनेट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

आगे की राह :

चयन प्रक्रिया की समीक्षा : अनूप बरनवाल केस, 2023 के अनुसार चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को बहाल करने से प्रक्रिया में एक तटस्थ तत्व शामिल हो जाएगा, जिससे राजनीतिक पूर्वाग्रह का जोखिम कम हो जाएगा।

कार्यपालिका के प्रभुत्व को कम करने के लिये चयन समिति में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष को शामिल किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को मज़बूत करना : गोस्वामी समिति (1990) ने हितों के टकराव को रोकने एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्तों तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सरकारी पदों पर आसीन होने से वंचित करने की सलाह दी थी।

वित्तीय स्वायत्तता : निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि (CFI) पर 'भारित' होना चाहिये ताकि मतदान के माध्यम से इसमें परिवर्तन या कमी न की जा सके।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच समानता: चुनाव सुधारों पर 255वें विधि आयोग (2015) की रिपोर्ट में निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान संरक्षण देने के क्रम में अनुच्छेद 324(5) में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी, जिससे निष्पक्षता के साथ बाहरी प्रभाव के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित हो सके।

अनुच्छेद 324(5) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है,

जिससे ये अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त छह साल की अवधि तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं।
4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन उनके पेंशन के बराबर ही होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 के प्रमुख प्रावधानों और इस विधेयक से संबंधित उठाई गई चिंताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, वैश्विक स्तर पर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रथाओं और भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के चयन से संबंधित समस्याओं के समाधान पर विस्तृत चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत-कतर द्विपक्षीय संबंध : मध्य-पूर्व एशिया में एक सशक्त रणनीतिक साझेदारी

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी 17-18 फरवरी, 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। यह शेख तमीम की भारत की दूसरी यात्रा थी।
- भारत और कतर के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से शेख तमीम ने इस यात्रा में व्यापार, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया।
- द्विपक्षीय संबंधों के तहत दोनों देशों ने आपस में अपने व्यापार को दोगुना करके 28 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने और कतर के निवेश को भारत में बढ़ाने की योजना बनाई है।

इस यात्रा की प्रमुख बातें और महत्वपूर्ण निष्कर्ष :

1. **सामरिक साझेदारी का विस्तार करना :** भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को सामरिक साझेदारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश में सहयोग को प्रगति देना है।
2. **द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करना :** दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. **भारत में कतर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताना :** कतर ने भारत में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया और भविष्य में बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने का आश्वासन दिया है और अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
4. **कराधान समझौता पर आपस में सहमति जताना :** दोनों देशों ने आपस में दोहरे कराधान से बचाव के लिए एक संशोधित समझौते पर सहमति जताई है, जिससे दोनों देशों

को ही आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

5. **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर आपस में वार्ता होना :** मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावना पर चर्चा की गई और भारत तथा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच इसे लेकर वार्ता जारी है।
6. **बुनियादी ढाँचा सहयोग और विस्तार पर चर्चा करना :** कतर में भारत के UPI प्रणाली और GIFT सिटी के माध्यम से कतर नेशनल बैंक के विस्तार करने पर आपस में विचार किया गया।
7. **इज़रायल-फिलिस्तीनी मुद्दा :** भारत ने इस संघर्ष के समाधान के लिए टू-स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

भारत के लिए कतर का महत्त्व :

1. **ऊर्जा सहयोग :** कतर भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है।
2. **सामरिक सहयोग :** कतर भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी में महत्वपूर्ण साझेदार है, जो GCC देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार बढ़ाने के प्रयासों में मदद करता है।
3. **भू-राजनीतिक रूप से महत्त्व :** कतर की मध्यस्थ भूमिका भारत को अफगानिस्तान और इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष जैसे क्षेत्रीय मुद्दों में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनने की अनुमति देती है।
4. **आतंकवाद-रोधी सहयोग :** भारत और कतर का खासकर खाड़ी क्षेत्र में, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर आपस में गहरा सहयोग है, जो भारत के कच्चे तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंध :

1. **रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग :** भारत और कतर के बीच रक्षा संबंधों में सामरिक प्रशिक्षण, नौसैनिक अभियानों, द्विवार्षिक समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (DIMDEX) और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास "ज़ाइर-अल-बहर" (Roar of the Sea) जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
2. **व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग :** 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 1.7 बिलियन और आयात 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कतर भारत को LPG, LNG, रसायन और एल्यूमीनियम का निर्यात करता है, जबकि भारत अनाज, लोहा, इस्पात और वस्त्रों का निर्यात करता है।
3. **निवेश :** कतर में 15,000 से अधिक भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं और भारतीय फर्मों द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है।
4. **आपस में सांस्कृतिक सहयोग :** 2012 में सांस्कृतिक सहयोग समझौते के तहत नियमित सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। वर्ष 2019 में भारत और कतर के बीच "संस्कृति वर्ष" मनाया गया।
5. **कतर में भारतीय समुदाय की स्थिति :** कतर में 835,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जो वहाँ के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय (जनसंख्या का 27%) हैं।

भारत-कतर द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **ऊर्जा निर्भरता और मूल्य अस्थिरता :** भारत कतर से LNG और LPG का प्रमुख आयातक है। कतर पर अत्यधिक निर्भरता और ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
2. **व्यापार और निवेश में असंतुलन होना :** भारत अधिक आयात करता है, विशेषकर ऊर्जा आयात, और इस कारण व्यापार असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, निवेश की मंजूरी में देरी और विनियामक बाधाएँ कतर के निवेश क्षेत्र में चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
3. **भू-राजनीतिक और पश्चिम एशियाई संघर्ष :** कतर का ईरान, तुर्की और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामी समूहों से संबंध भारत के हितों के अनुरूप नहीं हो सकते। इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष और तालिबान वार्ता में कतर की मध्यस्थता कभी-कभी भारत के रुख से टकराती है।
4. **सुरक्षा और आतंकवाद संबंधी चिंताएँ :** कतर पर कट्टरपंथी समूहों को वित्तपोषित करने का आरोप है, जिससे भारत को सुरक्षा संबंधी चिंताएँ होती हैं। फारस की खाड़ी में क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
5. **प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी समस्याएँ :** कतर में भारतीय प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्टें मिल चुकी हैं, विशेष रूप से निर्माण और सेवा क्षेत्रों में। 2022 फीफा विश्व कप के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए खराब हालात और वेतन में देरी की समस्याएँ सामने आईं।
6. **कानूनी और न्यायिक चुनौतियाँ :** कतर में भारतीय नागरिकों को धीमी कानूनी प्रक्रियाओं और वीजा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। भारतीय पेशेवरों के लिए यात्रा और कार्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
7. **FTA और आर्थिक बाधाएँ :** भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर प्रगति धीमी रही है। कतर की संरक्षणवादी नीतियाँ भारतीय कंपनियों के लिए परिचालन में कठिनाई उत्पन्न कर रही हैं।
8. **सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव का उत्पन्न होना :** भारत की कुछ नीतियाँ, जैसे CAA, NRC, और हिजाब प्रतिबंध, कतर में आलोचना का कारण बन चुकी हैं। विशेष रूप से 2022 में भारतीय राजनेताओं द्वारा इस्लामी पैगंबर मुहम्मद पर की

गई टिप्पणियों के बाद कतर ने विरोध दर्ज कराया था, जिससे धार्मिक तनाव उत्पन्न हुआ और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया था।

भारत-कतर संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में समाधान की राह :

1. **द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और निवेश में विविधता लाना :** व्यापार घाटे को संतुलित करने और कतर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करने से एक स्थिर और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी की नींव रखी जा सकती है। इसके लिए द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और टैरिफ अवरोधों को हटाने के उद्देश्य से भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्रता से आगे बढ़ाना आवश्यक होगा।
2. **नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना और मूल्य वार्ता का सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत :** भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए LNG की अस्थिर कीमतों पर निर्भरता को कम करना जरूरी है। इसके साथ ही, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना होगा।
3. **रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत :** क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रक्षा संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए। फारस की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यासों और नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने से भारत का रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में मजबूत होगा।
4. **भारतीय प्रवासियों के कल्याण और श्रम अधिकारों में सुधार करने की आवश्यकता :** कतर में भारतीय श्रमिकों के कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए श्रम अधिकारों पर सहमति बढ़ानी होगी। 7 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा से भारत की छवि को फायदा होगा और कतर के साथ संबंधों में सकारात्मक माहौल बनेगा।
5. **डिजिटल और वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में एकीकरण और सशक्त करने की जरूरत :** डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में एकीकरण से व्यापार की दक्षता में वृद्धि होगी और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। कतर में भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे (UPI) का विस्तार करके धन प्रेषण और व्यावसायिक लेन-देन को सुगम बनाना चाहिए। साथ ही, अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा (INR-QAR) में व्यापार निपटान को बढ़ावा देना जरूरी होगा।
6. **आपस में सांस्कृतिक और जनसंपर्क संबंधों को प्रगाढ़ करने की जरूरत :** सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर का विस्तार भारत और कतर के बीच दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करेगा। "भारत-कतर संस्कृति वर्ष" जैसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल सहयोग और पर्यटन गतिविधियाँ दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ करेंगी।
7. **भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं और संकट कूटनीति का प्रबंधन करने की जरूरत :** पश्चिम एशिया के संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दों पर भारत की भूमिका को और प्रभावी बनाना, जैसे इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष, के बीच तटस्थता बनाए रखना आवश्यक है। सक्रिय और समावेशी विदेश नीति भारत के कूटनीतिक हितों की रक्षा करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष :

- कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा, व्यापार, और कूटनीतिक सहयोग पर दोनों देशों का ध्यान केंद्रित करना, भविष्य में पारस्परिक लाभकारी संबंधों का निर्माण करेगा और भारत-कतर संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए।

1. ओमान
2. सऊदी अरब
3. कुवैत
4. ईरान
5. भूटान

उपर्युक्त में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद' का सदस्य देश नहीं है ?

A. केवल 1, 2 और 5

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 2

D. केवल 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक जटिलताओं के कारण भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए कि कतर के साथ संबंधों को गहरा करने और अन्य खाड़ी देशों तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने में भारत के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ और अवसर हैं ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

UGC विनियम प्रारूप 2025 : राज्यों की चिंता और भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने UGC (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएँ और उच्च शिक्षा के मानकों का संरक्षण करने वाले उपाय) विनियम 2025 का प्रारूप / मसौदा जारी किया था।
- इस प्रारूप / मसौदा का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों को अपने संस्थानों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
- इस प्रारूप / मसौदा का विनियम और दिशा-निर्देश अब सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ, सुझाव और प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने का आह्वान किया गया था।
- भारत के छह राज्यों ने संघीय स्वायत्तता और शैक्षणिक मानकों पर अपनी चिंताओं का उल्लेख करते हुए UGC विनियम 2025 के प्रारूप को वापस लेने की मांग की है।

UGC मसौदा विनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ :

1. **कुलपतियों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल :** कुलपतियों का चयन अब एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें चांसलर/राज्यपाल, UGC अध्यक्ष और उक्त विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय शामिल होंगे। कुलपतियों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और वह पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।
2. **नेतृत्व में विविधता लाने का प्रयास करना :** कुलपतियों के नियुक्तियों में अब शिक्षा, उद्योग, सार्वजनिक नीति, और लोक प्रशासन में अनुभव रखने वाले पेशेवरों को शामिल भी किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में विविधतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
3. **संकायों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाना :** संकायों की भर्ती और पदोन्नति में भारतीय भाषाओं, नवाचार और सामाजिक योगदान जैसे क्षेत्रों में योगदान को प्राथमिकता दी जाएगी। कॅरियर उन्नति योजना में गुणात्मक मूल्यांकन आधारित पदोन्नति को बढ़ावा मिलेगा।
4. **संकायों की भर्ती और पदोन्नति में समावेशिता को बढ़ावा देना :** संस्थान अब कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों (SC/ST/OBC/EWS/दिव्यांग व्यक्ति) को भर्ती और नेतृत्व भूमिकाओं में शामिल करेंगे। संविदा नियुक्तियों की संख्या पर अब तय सीमा को हटा दिया गया है।
5. **भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का अनिवार्य किया जाना :** भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक अधिसूचनाएँ और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ अनिवार्य की गई हैं।
6. **प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (PoP) :** संस्थान अब 10% पदों तक उद्योग पेशेवरों को नियुक्त कर सकते हैं। यह कदम शैक्षिक और उद्योग क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा।
7. **अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना :** संकाय से अनुसंधान, स्टार्टअप, और डिजिटल कंटेंट निर्माण में योगदान की अपेक्षाएँ बढ़ाई गई हैं।
8. **अनुपालन और दंड का प्रावधान :** नियमों का पालन न करने पर संस्थानों को UGC योजनाओं से वंचित किया जा सकता है और उनकी वित्तीय सहायता में कटौती हो सकती है।
9. **कुलपतियों की नियुक्ति में आवश्यक परिवर्तन होना :** कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की भूमिका समाप्त कर दी गई है और यह प्रक्रिया केंद्रीयकृत की गई है।

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

10. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना :** भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने और वैश्विक मान्यता के लिए तैयार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इस मसौदे का उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

11. **भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन देना :** शैक्षणिक शोध और शिक्षण में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक और भाषाई समावेशिता बढ़ेगी।

भारत में शिक्षा का विनियमन :

1. **भारतीय संविधान में संशोधन और शिक्षा :** भारत में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इससे राज्य सरकारों को स्थानीय शिक्षा प्रशासन में अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए, केंद्र सरकार को नीति निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला।

2. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अन्य संस्थाएँ :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और संस्थाएँ जैसे UGC तथा AICTE, समवर्ती सूची के आधार पर काम कर रही हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शिक्षा से जुड़े निर्णयों में साझेदारी को बढ़ावा देती हैं।

संविधान के 7वीं अनुसूची में शिक्षा का प्रावधान :

1. **संघ सूची (सूची I) :** इस सूची में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे IITs, IIMs, AIIMS आते हैं, जिनका संचालन और वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, UGC और AICTE जैसी संस्थाएँ उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करती हैं।

2. **राज्य सूची (सूची II) :** इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को छोड़कर राज्य स्तर पर विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिणिक संस्थानों का संचालन और विनियमन किया जाता है।

3. **समवर्ती सूची (सूची III) :** इस सूची के अंतर्गत शिक्षा, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय और व्यावसाश यिक प्रशिक्षण इस सूची के तहत आते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एक संक्षिप्त परिचय :

1. **उत्पत्ति :** भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नींव सन 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट से पड़ी, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

2. **स्थापना :** 1945 में स्थापित इस समिति ने पहले अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों का विनियमन किया, और 1947 तक इसे सभी विश्वविद्यालयों तक विस्तारित किया गया।

3. **UGC का पुनर्गठन :** सन 1948 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित पुनर्गठन की सिफारिश की थी।

4. **भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान आवंटित करने और इसके रखरखाव की केंद्रीय जिम्मेदारी प्रदान करना :** भारत में सन 1952 में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान आवंटित करने और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी थी।

5. **वैधानिक निकाय के रूप में विकास :** स्वतंत्रता के बाद सन 1956 में UGC को एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता मिली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बंगलूरू में भी अवस्थित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना और कार्य :

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मुख्य कार्य के रूप में यह भारत के विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करता है, उसके विकास और रखरखाव के लिए अनुदान आवंटित करता है और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करता है।

3. भारत में शिक्षा का विनियमन केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित होता है, जहां UGC जैसे संस्थान शिक्षा क्षेत्र में सुधार, मानक निर्धारण और वित्तीय सहायता के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत में UGC मसौदा विनियम, 2025 से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :

1. **भारत के संघवादी चरित्र से संबंधित चुनौतियाँ :** कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपालों की भूमिका बढ़ाने से राज्य सरकारों की भूमिका प्रभावित हो सकती है, जिससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी आ सकती है। तमिलनाडु और केरल सरकारों ने इन बदलावों का विरोध किया है और इसे संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन माना है।

2. **अकादमिक नेतृत्व में शैक्षणिक योग्यता के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होने की संभावना :** उद्योग या सार्वजनिक प्रशासन से गैर-शैक्षणिक व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त करना शैक्षणिक क्षमता और अखंडता से समझौता कर सकता है। इस प्रकार की नियुक्तियाँ अक्सर शैक्षणिक योग्यता के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकती हैं।

3. **समानता से जुड़ी चुनौतियाँ :** देश के ग्रामीण और वित्तीय रूप से कमजोर संस्थानों के पास प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी है, जो मानदंडों को लागू करने में रुकावट डाल सकती है। इसके अलावा, डिजिटल सामग्री निर्माण और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने से वे संस्थान प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों तक सीमित पहुँच है।

4. **वित्तीय चुनौतियाँ :** बजट 2024 में उच्च शिक्षा के लिए वित्तपोषण में 17% की कमी से संस्थानों के लिए उन्नत प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना कठिन हो सकता है। स्टार्टअप और प्रायोजित अनुसंधान पर जोर देने से संस्थान निजी वित्तपोषण की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने में कमी हो सकती है।

5. **विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-केंद्रित और अंतःविषय सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ :** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-केंद्रित और अंतःविषय सुधारों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों और बुनियादी ढाँचे की कमी हो सकती है। छोटे संस्थान स्टार्टअप पहलों, प्रायोजित अनुसंधान और प्रयोगशाला विकास जैसे सुधारों को लागू करने के वित्तीय बोझ का सामना कर सकते हैं।

6. **नौकरी की असुरक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियाँ :** संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पर 10% की सीमा हटाने से अस्थायी संकाय पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे नौकरी की असुरक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, संकाय सदस्यों पर विविध गुणात्मक मीट्रिक को पूरा करने के बढ़ते दबाव से उनके शिक्षण और मार्गदर्शन की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

7. **आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी और तकनीकी से संबंधित चुनौतियाँ :** ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में MOOC और अन्य ऑनलाइन शिक्षण पहलुओं के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढाँचे की कमी हो सकती है। संकाय और प्रशासक AI-आधारित शिक्षा प्लेटफार्मों और अंतःविषय शिक्षण उपकरणों को अपनाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।

8. **शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर बढ़ने की संभावना तथा क्षेत्रीय और संस्थागत असमानताओं से संबंधित चुनौतियाँ :** शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थान सुधारों को लागू करने के लिए बेहतर संसाधनों से सुसज्जित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर बढ़ सकता है। अच्छे तरह से स्थापित विश्वविद्यालयों के पास सुधारों को जल्दी अपनाने की क्षमता हो सकती है, जबकि छोटे और नए संस्थान इन सुधारों में पिछड़ सकते हैं, जिससे पूरे देश में असमान प्रगति हो सकती है।

समाधान / आगे की राह :

1. **सहयोगात्मक नीति निर्माण की आवश्यकता :** भारत के संघीय ढाँचे को मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्य सरकारों की सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना आवश्यक है। केंद्र और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कुलपति चयन प्रक्रिया में राज्य के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2. **समान संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने की जरूरत :** ग्रामीण क्षेत्रों और सीमित संसाधनों वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें विशेष वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। छोटे और सीमित संसाधन वाले संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण की पहल करनी चाहिए।

3. **अकादमिक नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अकादमिक**

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उत्कृष्टता को प्राथमिकता देते हुए निष्पक्ष और स्पष्ट मानक तय किए जाने की जरूरत : विश्वविद्यालयों के कुलपति की चयन प्रक्रिया में अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव को रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि शैक्षणिक मूल्य और अखंडता बनी रहे। नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अकादमिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट मानक तय किए जाने चाहिए।

4. **शिक्षण कार्यों में गुणवत्ता के लिए अनुबंधित नियुक्तियों की सतत निगरानी करने की आवश्यकता :** शिक्षण कार्यों में गुणवत्ता और स्थिरता बनाए रखने के लिए, संविदा नियुक्तियों पर सीमाएँ या दिशा – निर्देश लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, अअनुबंधित शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने चाहिए।

5. **समावेशिता को बढ़ावा देने की जरूरत :** वंचित क्षेत्रों के संस्थानों और छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ और सहायता तंत्र विकसित करने के साथ-साथ, कम संसाधन वाले विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि असमानताओं को कम किया जा सके और वे शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

6. **संकाय सदस्यों को नए शिक्षण मॉडल और संकाय विकास कार्यक्रम अनुरूप प्रशिक्षण देना आवश्यक :** संकाय के लिए नए शैक्षणिक मॉडल, अंतरविषयक शिक्षा और शोध की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक निकायों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करते हुए कौशल विकास कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए।

7. **भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत :** विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप और पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नियमित ऑडिट और स्वतंत्र निरीक्षण समितियों का गठन भी जरूरी है।

निष्कर्ष :

- UGC विनियम, 2025 का मसौदा, NEP 2020 के उद्देश्य के अनुरूप कई सुधार प्रस्तुत करता है, परंतु इससे संघवाद, समानता और शैक्षणिक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन चुनौतियों को हल करने के लिए, सहयोगात्मक नीति निर्माण, उचित संसाधन आवंटन और चरणबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय हैदराबाद और कोलकाता में अवस्थित है।
2. भारत में UGC को एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता सन 1956 में मिली।
3. भारत में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) में दो उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 2 और 3

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. “ UGC विनियम 2025 के मसौदे में विश्वविद्यालयों को नियुक्ति और पदोन्नति में लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इससे संघवादी ढांचे, समानता, वित्तीय चुनौतियों और शैक्षणिक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।” इस कथन के आलोक में चर्चा कीजिए कि इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या समाधान सुझाए गए हैं ?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS